अनुदान संख्या 72 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 72 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	27391,55,00			
			30463,77,00	30462,66,86	-1,10,14
पूरक	Supplementary	3072,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,07,71
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3709,00,00			
			3959,18,00	2158,32,44	-1800,85,56
पूरक	Supplementary	250,18,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1800,85,56

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head					
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	2477459.00			
पू.	S.	170801.00	2590107.71	2590107.71	..
पु.	R.	-58152.29			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	258151.00			
पू.	S.	136420.00	452730.89	452730.89	..
पु.	R.	58159.89			

(I) ₹700.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹200.00 लाख के पूरक अनुदान की तुलना में) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹700.00 lakhs (including supplementary grant of ₹200.00 lakhs obtained in July, 2018) remained wholly unutilized under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत जुलाई, 2018 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained in July, 2018 under Major Head "2802" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "तेल और गैस का शोधन तथा विपणन – अन्य व्यय – भारतीय गैस प्राधिकरण, फूलपुर धमरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना" – ₹167400.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गईं थीं जो, तथापि, फूलपुर धमरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के निर्माण कार्यकलापों में विलंब के कारण ₹46740.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(A) "Refining and Marketing of Oil and Gas - Other Expenditure - Gas Authority of India Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project" - funds of ₹167400.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹46740.00 lakhs - due to delay in construction activities of Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project.

(खा) "सामान्य – स्वायत्त निकायों को सहायता – भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम की स्थापना" – ₹3200.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गईं थीं जो, तथापि, भूमि के न्यायाधीन होने के कारण चारदीवारी का निर्माण न किए जाने की वजह से ₹800.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) "General - Assistance to Autonomous Bodies - Setting up of Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE), Vishakhapatanam" - funds of ₹3200.00 lakhs were provided by obtaing supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹800.00 lakhs - due to non-construction of boundary wall owing to land being subjudice.

(III) मुख्य शीर्ष "2802" – "सामान्य – तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी – पूर्वोत्तर क्षेत्र (घरेलू प्राकृतिक गैस) सहित अन्य देय सहायिकी" के अंतर्गत – ₹10942.25 लाख की बचत (₹60800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2802" - "General - Subsidy to Oil Marketing Companies - Other Subsidy payable including NE Region (Domestic Natural Gas)" - saving of ₹10942.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60800.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹59593.89 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹136421.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. The above savings were partly (₹59593.89 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining supplementary grant of ₹136421.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2802" – "सामान्य – स्वायत्त निकायों को सहायता – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड" – ₹1034.00 लाख।

(I) Major Head "2802" - "General - Assistance to Autonomous Bodies - Petroleum and Natural Gas Regulatory Board" - ₹1034.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(II) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance"-

(का) "राज्य सरकारों को अंतर रॉयल्टी का भुगतान" – ₹56530.00 लाख।

(A) "Payment of Differential Royalty to State Governments"- ₹56530.00 lakhs.

(खा) "राज्य सरकारों को केरोसीन वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन" – ₹2029.89 लाख।

(B) "Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms" - ₹2029.89 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹180085.56 लाख) दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹25018.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹180085.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹25018.00 lakhs obtained in December, 2018 and constituted 45 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4802"	Major Head "4802"				
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	370900.00			
पू.	S.	25018.00	215832.44	215832.44	..
पु.	R.	-180085.56			

(I) ₹170800.00 लाख का प्रावधान "तेल और गैस का शोधन और विपणन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारत गैस प्राधिकरण" के अंतर्गत एक मामने में फूलपुर धमरा हल्दिया परियोजना, आईआईपीई, विशाखापत्तनम, सीईई, बैंगलौर तथा सीईई असम जैसी स्कीमों को अनुदान के राजस्व भाग में अंतरित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹170800.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Refining and Marketing of Oil and Gas- Investments in Public Sector and Other Undertakings - Gas Authority of India"- due to shifting of schemes viz - Phulpur Dhamra Haldia Project, IIPE, Vishakhapatanam, CEE, Bangalore and CEE Assam to Revenue section of grant.

(II) "कच्चे तेल के भंडारण की विशेष कार्यनीति – आरक्षित कच्चे तेल के लिए विशेष कार्यनीति का निर्माण – इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान" – ₹9285.56 लाख की बचत (₹70100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(II) Under "Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL)"- saving of ₹9285.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70100.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.